

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-III, खण्ड 4]  
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कर्नूल  
भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, फरवरी, 2022

फा.सं. 79-1/2021- टीएस. I

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2014 (2014 का 30) की धारा 34 के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कर्नूल की निम्नलिखित परिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ.**- (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कर्नूल की प्रथम परिनियम है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**- इन परिनियमों में जब तक की आवश्यक अन्यथा संदर्भ न हो:-

- (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2014 (2014 का 30) है;
- (ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का अभिप्रेत है बोर्ड, यदि नियमित सहायक आचार्य के पद अथवा उससे ऊपर के पद शैक्षिक कर्मचारी में की गयी हो अथवा यदि नियुक्तिप्रत्येक संवर्ग में गैर-शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द में की गई हो, जिसके वेतनमान का अधिकतम समूह क अधिकारियों तथा निदेशक, किसी अन्य मामले में, के लिए प्रचलित ग्रेड वेतन मान से अधिक हो;
- (ग) 'प्राधिकारी', 'अधिकारी' और 'निकाय' का अर्थ होगा संस्थान के क्रमशः प्राधिकारी, अधिकारी और संकाय।
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है जो निदेशक के मामले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और अन्य सभी कर्मचारियों के मामले में निदेशक है।
- (ङ.) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो संस्थान के सभी स्थायी और अस्थायी या संविदा कर्मचारी और वे सभी व्यक्ति जो संस्थान के साथ जुड़ाव का दावा करते हैं;
- (च) 'छात्रावास' का अभिप्रेत है जिनमें संस्थान के छात्रों के आवास के लिए छात्रावास अथवा आवास कक्ष है;
- (छ) 'भवन और कार्य समिति' से अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 20 के तहत गठित संस्थान की भवन और कार्य समिति है;
- (ज) 'संकायाध्यक्ष' से अभिप्रेत है जो संस्थान का संकायाध्यक्ष है;
- (झ) 'विभाग' अथवा 'केंद्र' अथवा 'स्कूल' का अभिप्रेत है जिसमें निदेश प्रदान करने और संस्थान के अनुमोदित कार्यक्रमों में शोध गतिविधियों के संचालन के लिए स्थापित शैक्षिक विभाग है;
- (ञ) 'वित्त समिति' से अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 18 के तहत गठित संस्थान की वित्त समिति है;
- (ट) विभाग अथवा केंद्र अथवा स्कूल के संबंध में 'प्रमुख' का अभिप्रेत है उसका प्रमुख है;
- (ठ) एक कर्मचारी के संबंध में "कुटुंब के सदस्य" में शामिल हैं;
- (i) कर्मचारी की पत्नी या पति, यथास्थिति हो, कर्मचारी के साथ रहता है या नहीं, लेकिन इसमें एक पत्नी या पति शामिल नहीं है, यथास्थिति हो, एक डिक्री या आदेश द्वारा कर्मचारी से अलग किया गया सक्षम अदालत;
- (ii) कर्मचारी का बेटा या बेटी या सौतेला बेटा या सौतेली बेटी और पूरी तरह से उस पर निर्भर, लेकिन इसमें कोई बालक या सौतेला बालक शामिल नहीं है जो अब किसी भी तरह

से कर्मचारी पर निर्भर नहीं है या जिसकी अभिरक्षा से कर्मचारी वंचित है द्वारा या किसी विधि के तहत;

(iii) कर्मचारी या कर्मचारी की पत्नी या पति से रक्त या शादी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, और पूरी तरह से कर्मचारी पर निर्भर है।

(ड) 'रजिस्ट्रार' का अभिप्रेत है जो संस्थान का रजिस्ट्रार है;

(ढ) संस्थान के छात्रावास अथवा आवास कक्ष अथवा भोजनशाला के 'वार्डन' का अभिप्रेत है जो उसका वार्डन है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

**3. सम्मानित उपाधि का प्रदान किया जाना.**—सम्मानित उपाधि प्रदान करने के सभी प्रस्ताव सीनेट द्वारा किए जाएंगे और उन्हें पुष्टि के लिए विजिटर को प्रस्तुत किए जाने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा:

परन्तु कि आकस्मिकता के मामले में अध्यक्ष बोर्ड की ओर से ऐसी सम्मानित उपाधि प्रदान किया जाना विजिटर को प्रस्तुत कर सकेगा।

**4. अध्यापन के विभाग:**— (1) बोर्ड उन शैक्षिक इकाइयों को निर्दिष्ट करेगा जिनके माध्यम से संस्थान की सामान्य शैक्षणिक अथवा शोध गतिविधियों अथवा दोनों का संचालन किया जाएगा।

(2) ऐसी प्रत्येक इकाई को विभाग अथवा केंद्र अथवा स्कूल, जैसा भी उपयुक्त समझा जाएगा, के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(3) बोर्ड को सीनेट की सिफारिश पर नई शैक्षिक इकाई आरंभ करने अथवा विद्यमान इकाई को बंद करने का अधिकार होगा और प्रत्येक संकाय सदस्य ऐसा न्यूनतम एक इकाई से संबद्ध होगा।

**(5) विभाग अथवा केंद्र अथवा स्कूल का प्रमुख.**— (1) निदेशक संस्थान के संकाय में से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए संस्थान की प्रत्येक शैक्षिक इकाई अर्थात् विभाग अथवा केंद्र अथवा स्कूल इत्यादि के लिए एक प्रमुख की नियुक्ति करेगा;

परन्तु कि जब निदेशक के राय से परिस्थिति में आवश्यक हो, निदेशक अधिकतम छः माह की अवधि के लिए विभाग का अस्थायी प्रयाय ले सकता है।

(2) विभाग अथवा केंद्र अथवा स्कूल इत्यादि का प्रमुख निदेशक के साधारण नियंत्रण के अधीन शैक्षिक इकाई के समूचे कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) विभाग अथवा केंद्र अथवा स्कूल का प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान के प्राधिकारियों के निर्णयों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जाए और वह निदेशक द्वारा सौंपे गए ऐसी अन्य कार्य करेगा।

**6. फीस.**—अध्यापन फीस और इसमें अधित्यजन, यदि कोई हो, का अवधारण परिषद द्वारा किया जाएगा और किसी अन्य फीस में अधित्यजन के लिए इसका विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

**7. अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति संस्था.**—(1) संस्थान परिषद् के निर्णय के अनुरूप तथा इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निहित नीति के अनुसार विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए अवरस्नातक, स्नातकोत्तर, शोध तथा पोस्ट-डॉक्टरल छात्रों को ऐसे स्टाईपेंड, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति स्थापित और प्रदान करेगा जो अध्यादेश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके।

(2) प्रदर्शनी, पदकों, पुरस्कारों और अन्य अधिनिर्णय का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

**8. कर्मचारीवृन्द का वर्गीकरण:**—संस्थान के निम्नलिखित कर्मचारीवृन्द होंगे, अर्थात्:—

(क) शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द;

(ख) तकनीकी कर्मचारीवृन्द;

(ग) प्रशासनिक और अन्य कर्मचारीवृन्द;

**9. नियुक्ति.**—(1) संस्थान के सभी संकाय पदों को भारत सरकार की प्रक्रियाओं के अनुसार खुले विज्ञापन के माध्यम से भरा जाएगा और अन्य सभी पदों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित संस्थान के भर्ती नियमों के

अनुसार भरा जाएगा तथा समूह 'ग' स्तर द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं को आउटसोर्स या अनुबंध आधारित बनाया जाएगा।

- (2) सहायक आचार्य के अलावा अन्य सभी नए भर्ती लोगों की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी और नए भर्ती किए गए सहायक आचार्य की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी।
- (3) संस्थान केंद्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित पदों के आरक्षण के लिए आवश्यक उपबंधों को करेगा।
- (4) आचार्यों के मामले में चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे; अर्थात्
  - i. निदेशक- अध्यक्ष;
  - ii. कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशित सदस्य;
  - iii. पहले से अनुमोदित विशेषज्ञों के पैनल से बोर्ड द्वारा से दो विशेषज्ञ- सदस्य;
  - iv. सीनेट विशेषज्ञों के पैनल से सीनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ- सदस्य

**स्पष्टीकरण:** यदि अन्य सदस्यों में से कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबद्ध नहीं हो तो बोर्ड द्वारा एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

- (5) अनुबंध पर, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, संस्थान इंजीनियर, खेल अधिकारी, सहायक खेल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा अधिकारी, संपदा अधिकारी सहित सह आचार्य के पद के मामले में चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- i. निदेशक- अध्यक्ष;
- ii. बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विशेषज्ञ- सदस्य;
- iii. सीनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ- सदस्य;
- iv. यदि जिस पद के लिए चयन किया जा रहा है वह विभाग या केंद्र अथवा स्कूल या यूनिट के प्रमुख द्वारा अधिकृत पद के दर्जे से निचले दर्जे का है तो संबंधित विभाग या केंद्र अथवा स्कूल या यूनिट का प्रमुख और पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के लिए अध्यक्ष, संस्थान की सीनेट पुस्तकालय समिति, रजिस्ट्रार या खेल अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा संस्थान इंजीनियर या लेखा अधिकारी अथवा लेखापरीक्षा अधिकारी या संपदा अधिकारी के पद के लिए बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रशासनिक या खेल या चिकित्सा या इंजीनियरी अथवा लेखा या लेखापरीक्षा या उपयुक्त स्तर के संपदा विशेषज्ञ।
- v. उप रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार के पद के लिए रजिस्ट्रार या सहायक खेलकूद अधिकारी के पद के लिए खेल अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

**स्पष्टीकरण:** यदि अन्य सदस्यों में से कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबद्ध नहीं हो तो बोर्ड द्वारा एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

- (6) अन्य सभी पदों के लिए चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-
  - i. निदेशक या पद के लिए समुचित उसका नामिति- अध्यक्ष;
  - ii. बोर्ड का एक नामिति- सदस्य;
  - iii. बोर्ड विशेषज्ञों की सूची से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ- सदस्य;
  - iv. सीनेट विशेषज्ञ की सूची से सीनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ- सदस्य;
  - v. विभाग या केंद्र या विषय अथवा स्कूल या संबंधित यूनिट को प्रमुख के पद यदि किसी विभाग या केंद्र या विषय या स्कूल या यूनिट में आच्छादित नहीं होते हैं तो उक्त पद का पदधारी जिला प्राधिकारी को रिपोर्ट करें उन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण:** यदि अन्य सदस्यों में से कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबद्ध नहीं हो तो बोर्ड द्वारा एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(7) बोर्ड द्वारा नामित विशेषज्ञों की सूची और सीनेट द्वारा नामित विशेषज्ञों की सूची के अनुमोदन को क्रमशः बोर्ड और सीनेट द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी।

(8) विभाग या केंद्र अथवा स्कूल के लिए बोर्ड और सीनेट विशेषज्ञों की एक-एक सूची होगी:

परंतु कि यदि बोर्ड द्वारा विभाग या केंद्र अथवा स्कूल के लिए अलग-अलग विषयों के संकाय सदस्य लेने का अधिदेश होगा तो प्रत्येक विषय के लिए बोर्ड और सीनेट विशेषज्ञों की एक-एक सूची होगी और उस विषय के अभ्यर्थियों में से विषय के विशेषज्ञ होंगे।

(9) निदेशक, पदों को भरने के लिए संस्थान द्वारा प्राप्त किए गए सभी आवेदनों पर विचार करने के लिए एक उपयुक्त अनुवीक्षण समिति गठित कर सकता है और अनुवीक्षण समिति, चयन समिति के विचारा के लिए बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधित्यजन के साथ पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में सलाह देगी:

परंतु कि अनुवीक्षण समिति संस्थान द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों का विस्तृत स्पष्टीकरण तैयार करेगी और चयन समिति की स्वीकृति, अस्वीकृति या उपांतरणके लिए उसके समक्ष प्रस्तुत करेगी;

परंतु यह और भी कि अनुवीक्षण समिति प्रत्येक आवेदन का विनिर्दिष्ट कारण देगी:

परंतु यह और भी कि, ऐसा किए जाने के कारण बताने के पश्चात् चयन समिति उस आवेदक की अभ्यर्थिता पर विचार कर सकती है जिसकी अनुवीक्षण समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई थी।

(10) संस्थान द्वारा नियमित या अनुबंध आधार पर अथवा अस्थायी पदों पर की गई सभी नियुक्तियों के बारे में बोर्ड को उसकी अगली बैठक में रिपोर्ट दी जाएगी।

**10. स्थायी कर्मचारीवृन्द की सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें:-** संस्थान का स्थायी कर्मचारीवृन्द पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तों से अभिशासित होगा, अर्थात्:-

(1) प्रत्येक नियुक्ति इस शर्त के अधीननियुक्त व्यक्ति सेवा के लिए स्वस्थ और शारीरिक रूप से योग्य होगा जिसे बोर्ड द्वारा नामित चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

परंतु कि बोर्ड पर्याप्त कारणों से किसी विशेष मामले या मामलों में बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित उन शर्तों, यदि कोई हो, के अंतर्गत चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं में छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) अधिनियम और कानूनों के उपबंधों के अध्यधीन संस्थानों के अंतर्गत पदों पर सभी नियुक्तियां साधारण दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएंगी और परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति अधिनियम और कानूनों के उपबंधों के अध्यधीन स्थायी कर्मचारीवृन्द के रूप में उस समय तक कार्यभार संभालेगा जब तक कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त नहीं कर लेता।

परन्तु छात्रों के हितों को ध्यान में रख और पीएचडी कार्यक्रम के लिएरजिस्ट्रीकृत छात्रों के शिक्षण और दिशा-निर्देशन के लिए यदि बोर्ड आवश्यक समझता है तो वह अकादमिक सत्र अथवा सेमिस्टर के अंत तक किसी भी अकादमिक संकाय को पुनः नियोजन दे सकते हैं।

परन्तु यह और किसेमिस्टर अथवा अकादमिक सत्र के अंत के पश्चात् भी यदि किसी ऐसे संकाय सदस्य को पुनः रोजगार देना आवश्यक हो जाता है तो बोर्ड कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से ऐसे किसी सदस्य को उतनी अवधि तक पुनः रोजगार पर रख सकता है जब तक कि वह आवश्यक समझे और किसी भी मामले में यह अवधि उस अकादमिक सत्र के अंत के बाद तक नहीं होगी जब कि वह संकास सदस्य सेवानिवृत्ति की आयु न प्राप्त कर ले।

परन्तु यह और भी किसेमिस्टर अथवा अकादमिक सत्र के अंत के पश्चात् भी यदि किसी ऐसे सदस्य को पुनः रोजगार देना आवश्यक हो जाता है तो बोर्ड विजीटर के पूर्वानुमोदन से ऐसे किसी सदस्य को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक संस्वीकृत रिक्त पदों पर पहली बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए

तत्पश्चात् दो वर्ष के लिए और किसी भी मामले में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अकादमिक सत्र के अंत से अधिक पुनः रोजगार दे सकता है।

परन्तु यह और भी किकिसी भी हाल में ऐसे कर्मचारीवृन्द को शिक्षण, अनुसंधान और विकास तथा पीएचडी कार्यक्रम के लिएरजिस्ट्रीकृत छात्रों को दिशा-निर्देश देने के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिएपुनः रोजगार पर नहीं रखा जा सकता।

(3) कर्मचारी बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरा करने और नियोक्ता प्राधिकारी के लिखित में तीन माह से अधिक का नोटिस देने के पश्चात् केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर अधिकथित शर्तों और निबंधनों के अनुसार सेवा निवृत्त हो सकते हैं:

परन्तु नियोक्ता प्राधिकारी कर्मचारी का परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकेंगे जो एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह उसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा पर आधारित होना चाहिए जिसके दिशा-निर्देश का निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(4) संस्थान का कर्मचारी अपना पूरा समय संस्थान की सेवा में लगाएगा और वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार अथवा कराकर अथवा किसी ऐसे अन्य कार्य में संलग्न नहीं होगा जो उसके कर्तव्यों के ठीक तरह से निर्वाह में आड़े आए:

परन्तु ये प्रतिबंध अकादमिक कार्य और परामर्शक के कार्य के लिए निदेशक द्वारा दी गई पूर्वानुमति पर लागू नहीं होंगे अथवा समय-समय पर बोर्ड द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार होंगे।

(5) नियोक्ता प्राधिकारी को बोर्ड द्वारा नियुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित करने के पश्चात् कि कोई कर्मचारी अपना कार्य करने के काबिल नहीं है और नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उसे सेवा में बनाए रखना अवांछनीय है तो उसे तीन माह का नोटिस अथवा तीन माह के वेतन का भुगतान करने के पश्चात् कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने का नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को अधिकार होगा।

(6) लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए और संस्थान का कोई कर्मचारी को तीन माह की लिखित में सूचना या इसके बदले में तीन माह के वेतन का भुगतान करके बोर्ड संस्थान के किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर कर सकेगा।

(7) संस्थान का कर्मचारी नियोक्ता प्राधिकारी को तीन माह की सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा:

परन्तु कि नियोक्ता प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से या तो इस अवधि को घटा सकता है या संबंधित कर्मचारी को उस शैक्षणिक सत्र के अंत तक जिसमें यह नोटिस मिला हो, सेवा जारी रखने के लिए कह सकता है।

(8) संस्थान में नियुक्त कर्मचारी को निलम्बन के अधीन रखा जा सकता है और इसलिए निहित प्रक्रिया के अनुसार उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

**11. सत्यनिष्ठा.**-(1) सभी कार्मिक सत्यनिष्ठ होंगे और कोई अनैतिकता या अन्याय अंगीकार कार्य नहीं करेंगे;

(2) संस्थान के सभी कर्मचारी, -

- (i) अपनी विशिष्टता के क्षेत्र या वृत्तिक क्षेत्र के ज्ञान और समझ बढ़ायेंगे;
- (ii) अपना आचरण में श्रेष्ठ व्यवसायिक और नैतिकता रखेंगे तथा अपना कार्य सत्यनिष्ठा और उद्देश्य परक रूप से करेंगे;
- (iii) शीघ्रता, मेहनत और समझदारीपूर्ण कार्य करेंगे;
- (iv) ईमानदारी और तार्किकता से कार्य करेंगे तथा छात्रों, कर्मचारियों, संबद्ध, संस्थान के विजिटर और सामान्य जन से आदरपूर्वक, निष्पक्षता, दया और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे;
- (v) हितों के मतभेदों से बचेंगे;
- (vi) कार्य व्यवहार के लिए सहयोगात्मक और सहयोगपूर्ण व्यवहार रखेंगे और
- (vii) शिक्षण और शोध के प्रतिफल स्वरूपी संस्थान की बौद्धिक सम्पदा की रक्षा करेंगे।

- (3) संस्थान में सभी कर्मचारी विहित कार्यालय समय के अनुसार उपस्थित रहेंगे जब तक की उन्हें संस्थान के बाहर का कार्य न दिया है या कार्यालय द्वारा स्वीकृत छुट्टी न दिया गया हो।
- (4) यदि किसी कर्मचारी की संस्थान के बाहर वृत्तिक क्रियाकलापों उसे संस्थान में वास्तविक रूप से उपस्थित रहने से रोकती है तथा प्रतिबद्धता में टकराव का कारण होती हैं तो उसकी चर्चा विभागाध्यक्ष या निदेशक के साथ की जाएगी।
- (5) कोई भी कर्मचारी जो कार्यस्थल पर प्रभारी है वह अपने कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन शोषण का निवारण करने के लिए समुचित कदम उठाएगा।

**स्पष्टीकरण-** इस परिनियम के प्रयोज के लिए पद "यौन शोषण" में ऐसा अवांछनीय अभद्र यौन व्यवहार, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष जैसे कि

- (i) शारीरिक संपर्क तथा छेड़छाड़
  - (ii) यौन संबंधों के लिए अनुरोध अथवा मांग
  - (iii) अश्लील टिप्पणियां करना
  - (iv) अश्लील चित्र दिखाना, अथवा
  - (v) यौन प्रकृति के किसी भी प्रकार के अवांछनीय शारीरिक, शाब्दिक अथवा गैर-शाब्दिक व्यवहार
- (6) कार्य स्थल पर कोई भी कर्मचारी यौन शोषण कार्यकलापों में लिप्त पाया जाता है तो संस्था के नियमों के अनुसार उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  - (7) कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा और अपने कुटुंब के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसकी ओर से उपहार स्वीकार नहीं करेगा।

**12. सार्वजनिक टिप्पणी.** - कोई कर्मचारी जो संस्था के कर्मचारी की हैसियत से सार्वजनिक टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन करता है तो उसे यह कार्य संस्था के निम्नलिखित दिशा-निदेशों के अनुसार ही करने होंगे :  
अर्थात:-

- (i) संस्थान अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है कि वह अनुसंधान के परिणामों अथवा संस्थान द्वारा आरंभ की गई छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों का अध्येता (छात्र) समुदाय में खुला और उपयुक्त समय पर व्यापक प्रचार करें।
- (ii) संस्थान अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है कि वे सार्वजनिक परिचर्चा में भाग लें और अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में टिप्पणियों के लिए मीडिया के समक्ष उपस्थित रहें।
- (iii) कर्मचारी संस्थान के बारे में सार्वजनिक वक्तव्य देते समय सर्वोच्च कोटि के व्यावसायिक और नैतिक मानक बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा किया गया कोई भी सार्वजनिक कथन संस्था के अपयश का कारण न बने।
- (iv) सार्वजनिक व्याख्या अथवा परिचर्चा में भाग लेते समय कर्मचारी जब अपने शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक विशेषज्ञ अथवा विशेष अध्ययन के क्षेत्र में व्याख्यान अथवा आलेख देते समय अपना परिचय अपने नाम (उपाधि) तथा शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करते हुए दें।
- (v) कर्मचारियों द्वारा अपनी विशेषज्ञता अथवा विशेष अध्ययन के क्षेत्र में विशेषज्ञ की हैसियत से दिए गए सभी कथनों सटीक, व्यावसायिक तथा समुचित आत्म संयम से नियंत्रित होने चाहिए।
- (vi) सार्वजनिक परिचर्चा करते समय, कर्मचारियों से यह आशयित की जाती है कि वे सदाशयता से कार्य करे और अपनी विशेषज्ञता को गलत ढंग से प्रस्तुत न करें।
- (vii) केवल वही कर्मचारी जो निदेशक की ओर से संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किए गए हैं वे ही संस्थान की नीतियों और सभी प्रशासनिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करेंगे।
- (viii) किसी भी विषय पर सूचना देते समय, कर्मचारी सदा सतर्क हरे कि वे अन्य व्यक्तियों के मतों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस न लगाए अथवा किसी आपत्तिजनक स्थिति का सृजन न करे अन्यथा ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार के अपमान और अप्रतिष्ठा के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

- (ix) यदि किसी कर्मचारी को किसी व्यक्ति, प्राधिकरण अथवा समिति द्वारा आयोजित किसी साक्ष्य के संबंध में बुलाया जाता है तो सके समक्ष प्रस्तुत होने से पूर्व कर्मचारी समक्ष प्राधिकारी को पूर्वानुमति प्राप्त करे।  
परन्तु संस्थान की आंतरिक समिति अथवा न्यायिक जांच के मामले में कोई अनुमति अपेक्षित न हो।

**13. हितों का टकराव.** - सभी कर्मचारी संस्थान के समक्ष सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का वास्तविक, संभावित अथवा हितों के कथित टकराव का उल्लेख करे और निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें, अर्थात: -

- (क) कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि संस्थान के कार्यक्षेत्र के बीच किए गए सभी अध्ययनशील कार्यकलाप तथा उनके परिणामों का खुला और उचित समय पर प्रसारण वास्तव में उनके बाह्य, व्यक्तिगत अथवा वित्तीय हितों का संभावित अथवा कथित टकराव नहीं है।
- (ख) सभी पणधारकों को उन बाह्य, व्यक्तिगत अथवा वित्तीय बाध्यताएं के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया जाए जो अध्ययनशील कार्यकलापों के परिणामों के प्रचार में विलंब अथवा अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं।
- (ग) संस्थान के बाहर किए जाने वाले वृत्तिक कार्यकलाप किसी कर्मचारी को उसके संस्थान के भीतर निर्धारित कर्तव्यों से विमुख नहीं करेंगे।
- (घ) कर्मचारी जो हितों में टकराव में शामिल है अथवा उसे ऐसे किसी टकराव की जानकारी है वह तत्काल निदेशक के माध्यम से संस्थान को इस संबंध में घोषणा करे।
- (ङ.) संस्थान के पास हितों के टकराव के प्रबंधन के लिए संबंधित कर्मचारी के साथ साझा करने की व्यापक योजना होनी चाहिए।
- (च) सभी कर्मचारी, किसी बाह्य कंपनी अथवा संगठन से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व करार की शर्तों के संबंध में समक्ष प्राधिकारी से चर्चा करे ताकि उनके बारे में संस्थान की स्वीकार्यता प्राप्त की जा सके।
- (छ) संस्थान का कोई भी कर्मचारी, वह अकेले अथवा किसी समुदाय के सदस्य के रूप में ऐसे किसी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है जो उसे समक्ष प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए हैं अथवा जिन कर्तव्यों के अनुपालन स्वरूप किसी प्रकार के हितों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे स्वयं को इनसे अलग कर लेना चाहिए।
- (ज) कर्मचारी को उक्त विहित कार्यकलापों के लिए मानदेय, परामर्श फीस तथा स्वामीस्व से पुरस्कृत किया जाएगा।  
परन्तु, कर्मचारी द्वारा संस्थान में अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्तिगत वित्तीय लाभों से प्रभावित न हो।
- (झ) बोर्ड हितों के टकराव और उनके उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक व्यापक नीति का निरूपण करेगा जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा कृत कृत्यों के परिणाम-स्वरूप उसके निज अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो उसके कुटुंब का सदस्य हो अथवा निकट संबंधी (जैसे कि छात्र का पर्यवेक्षक) के लिए अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों उत्पन्न होती है।

**14. संस्थान से बाहर वित्तीय हित.** - (1) कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत वित्तीय सरोकार तथा अपने कुटुंब के सदस्यों के भी वित्तीय सरोकार स्पष्ट करने चाहिए, विशेषरूप से तब जब वे एकाधिक हो इनमें सेवाओं के लिए अथवा अध्यापन के लिए भुगतान, परामर्श शुल्क से आय, मानदेय, संस्थान से इतर शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त रायल्टी शामिल हैं, विशेष रूप से जब वे किसी कंपनी अथवा संगठन के साथ कार्यरत हों, जिसको अध्यक्ष:-

- (i) कंपनी अथवा संगठन निधियां उस संस्थान की जांच करती है जिससे कर्मचारी संबद्ध है;

- (ii) कर्मचारी का जिससे वित्तीय सरोकार है उसमें बौद्धिक संपदा अनुज्ञापत्र;
- (iii) जारी अथवा ऑन-लाइन शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवक्ता के रूप में कर्मचारी की भागीदारी का प्रायोजन किसी ऐसे संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर करार करना जिसमें कर्मचारी भी एक हस्ताक्षरकर्ता है;
- (iv) उस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरकर्ता कर्मचारी है;
- (v) ऐसे उत्पाद का निर्माण करता है, जिस पर अध्ययन किया जा रहा है और जिसमें कर्मचारी शामिल है, या
- (vi) वह निहितार्थ रखता है, जिसका कर्मचारी की छात्रवृत्ति या अनुसंधान पर संभावित प्रभाव हो सकता है;
- (vii) संस्थान द्वारा देखभाल की गई है।
- (2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों के निहितार्थ संबंधी मत भिन्नता का निर्धारण किया जाएगा।
15. **बौद्धिक संपदा.**-सभी कर्मचारी बौद्धिक संपदा संबंधी नीति का पालन करेंगे।
16. **राजनीतिक क्रियाकलाप.**- प्रत्येक कर्मचारी, राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर यथा लागू भारत सरकार के नियमों द्वारा शासित होगा।
17. **संस्थान को संसूचित करना.**- (1) संस्थान का कोई कर्मचारी या छात्र संस्थान को उस किसी भी परिस्थिति की, जो उसके कर्तव्य और दायित्वों के निर्वहन में बाधा पहुंचाती है, परन्तु अपराधिक आरोपों या कार्यवाही, दीर्घकालिक दिवालियापन या ऋण ग्रस्तता आदि तक सीमित नहीं है, की सूचना देगा।
- (2) संस्थान का कर्मचारी उसके या उसके कुटुंब के सदस्यों के स्वामित्व वाली स्थावर और जंगम संपत्ति की, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू मानदंडों के अनुसार, घोषणा करेगा। स्वामित्व से तात्पर्य अभिलेख के अनुसार विधिक स्वामित्व (जैसा भी हो, परन्तु रजस्ट्रीकरण, पट्टा, रहन आदि तक सीमित न हो) या संपत्ति का वास्तविक स्वामित्व या कब्जा हो।
18. **अभ्यावेदन, शिकायत, परिवाद.**- किसी भी अभ्यावेदन, अपील, परिवाद या शिकायत के लिए, संस्थान का कर्मचारी या छात्र शासी बोर्ड द्वारा यथा-निर्धारित संस्थापित माध्यमों और तंत्रों का प्रयोग करेंगे।
- स्पष्टीकरण:** शासी बोर्ड, परिवेदनाओं या शिकायतों की सूक्ष्मता से जांच और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई संबंधी सिफारिश करने, जो सार्वजनिक रूप से स्पष्ट होगी और संस्थान के सभी सदस्यों को व्यापक रूप से संसूचित की जाएगी, के लिए संस्थापित माध्यमों और तंत्रों (जैसेकि लोकपाल, शिकायत निवारण समितियां आदि) की स्थापना और घोषणा करेगा।
19. **व्यावृत्ति.**-जिन मामलों को उपर्युक्त नियमों द्वारा शामिल नहीं किया गया है उन पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर यथा-लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
20. **संविदा पर नियुक्ति.**- (1) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति विशेष को संविदा पर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक पुनः नियुक्ति के उपबन्धन के साथ, नियुक्ति कर सकता है। परन्तु कि ऐसी प्रत्येक नियुक्ति और तत्संबंधी शर्तें बोर्ड के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अध्वतधीन होंगी।
- (2) अधिनियम में निहित उपबंधों के अधीन बोर्ड किसी व्यक्तित्व को समेकित वेतन के आधार पर संविदा पर और संबंधित पद के लिए लागू निबंधनों और शर्तों पर पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए नियुक्ति कर सकता है: परन्तु ऐसी नियुक्ति करने के लिए बोर्ड, प्रत्येक मामले की परिस्थिति को देखते हुए, एक तदर्थ चयन समिति गठित कर सकता है।

21. **छुट्टी.** - (1) संकाय के सदस्य की संस्थान से सेवा समाप्त हो जाएगी, यदि वह छुट्टी या बिना छुट्टी पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहता/रहती है, जब तक कि इस प्रकार की अनुपस्थिति, अनुमोदित प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा कार्यकाल के कारण से ना हो।  
 (2) संकाय सदस्य को उस अवधि के लिए छुट्टी पर माना जाएगा, जिसे संस्थान द्वारा सम्मेलनों या सेमिनारों में उपस्थित होने सहित शैक्षिक कार्य के लिए संस्वीकृत किया जाता है, जबकि संस्थान या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान परियोजनाएं या किसी ऐसी अभिकरण द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
22. **आकस्मिक छुट्टी.** - सभी कर्मचारी आठ दिन के आकस्मिक छुट्टी या केंद्रीय सरकार द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में यथा-विनिर्दिष्ट छुट्टी के पात्र होंगे।
23. **विशेष आकस्मिक छुट्टी.** - सभी कर्मचारी सम्मेलनों या शैक्षिक बैठकों में प्रतिभागिता करने, ख्याति प्राप्त संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की मौखिक परीक्षा लेने, चयन समिति की बैठकों में भाग लेने, जनहित में न्यायालय में उपस्थित होने या किसी अन्य उद्देश्य, जैसाकि निदेशक उचित समझे, जैसे प्रयोजनों, जब इन मामलों में संस्थान द्वारा यात्रा सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, के लिए पन्द्रह दिन के विशेष आकस्मिक छुट्टी के पात्र होंगे।
24. **अर्ध वेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी.** - सभी कर्मचारी बोर्ड द्वारा तैयार नियमों के अनुसार अर्ध-वेतन या परिवर्तित छुट्टी के पात्र होंगे।
25. **मातृत्व, पितृत्व और शिशु देखरेख छुट्टी.** - संकाय सदस्य जिनके दो या दो से कम बच्चे हैं उन्हें मातृत्व, पितृत्व और शिशु देखरेख छुट्टी देय होगा।
26. **अर्जित छुट्टी.** - (1) सभी कर्मचारी एक वर्ष में तीस दिन के अर्जित छुट्टी के पात्र होंगे: परन्तु, उनके शिक्षण दायित्वों के कारण, किसी संकाय सदस्य को एक सेमेस्टर के दौरान 15 दिन से अधिक का अर्जित छुट्टी प्रदान नहीं किया जाएगा, यह छुट्टी अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़कर एक समय में सात दिन से अधिक का नहीं होगा।  
 (2) संकाय सदस्य छुट्टियों की अवधि दौरान विशेष अर्जित छुट्टी कहा जाने वाला अर्जित छुट्टी ले सकते हैं, जो उन्हें आने वाले सेमेस्टर के लिए एक मुक्त वातावरण में तैयारी करने की सुविधा प्रदान करेगा, जो इस निहितार्थ के साथ कि वर्ष के शैक्षिक कैलेंडर में यथा-परिभाषित छुट्टियों की अवधि के दौरान उन्हें प्रदान किए गए अर्जित छुट्टी के प्रत्येक दिन के लिए दो दिन की अनुपस्थिति के पात्र होंगे और छुट्टियों के दौरान इस प्रकार का छुट्टी विशेष अर्जित छुट्टी कहा जाएगा।  
 (3) छात्रों के शैक्षिक कैलेंडर में यथा- विनिर्दिष्ट छुट्टियों की अवधियों के दौरान, संकाय सदस्य को उन्हें प्रदान किए गए विशेष अर्जित छुट्टी की अवधि को छोड़कर, छुट्टी पर माना जाएगा और अनुसंधान, परियोजनाओं के पर्यवेक्षण, कैम्पस में विस्तार गतिविधियां, संस्थान के प्रशासनिक कार्यों आदि से जुड़ा रहेगा और अर्जित छुट्टी को प्रत्येक वर्ष के जुलाई महीने के पहले दिन क्रेडिट किया जाएगा।  
 (4) संकाय सदस्य को क्रेडिट किए गए अर्जित छुट्टी को आगे ले जाया जाएगा और इसे अधिकतम तीन सौ दिन तक जमा किया जाएगा।
27. **शैक्षिक आधार पर छुट्टी.** - (1) उत्कृष्टता प्राप्ति में संस्थान के लाभकारी प्रयोजन के लिए नियमित संकाय को उनके शैक्षिक उन्नति के लिए छुट्टी प्रदान किया जाएगा।  
**स्पष्टीकरण-** (1) इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक आधार पर छुट्टी मूल रूप से संकाय सदस्य के व्यवसायवृत्तिक जीर्णोद्धार के लिए होगा और छुट्टी लेने के पश्चात संकाय सदस्य को एक उस अवधि, जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा, के लिए संस्थान की सेवा करनी जरूरी होगी और इस आशय के लिए संकाय सदस्य एक बंधपत्र प्रस्तुत करेगा।  
 (2) एक सेमेस्टर के दौरान एक माह से अधिक की अवधि के लिए, अधिकतम एक सेमेस्टर की अवधि तक का छुट्टी, जिसके पहले या बाद में छुट्टियों के साथ जोड़ने का उपबंध है या दोनों हैं, के अनुपस्थिति छुट्टी को अल्पावधि छुट्टी तथा दो या अधिक सेमेस्टर्स में अतिव्याप्ति अनुपस्थिति छुट्टी को दीर्घावधि छुट्टी माना जाएगा।  
 (3) अल्पावधि या दीर्घावधि छुट्टी विदेश सेवा शर्तों पर प्रदान किया जा सकता है संस्थान विदेश सेवा शर्तों के तहत छुट्टी पर संकाय सदस्य को वेतन का भुगतान नहीं करेगा।

- (4) संकाय सदस्य की विदेश सेवाओं में प्रतिनियुक्ति की शर्तें सामान्यतः तौर पर केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जैसे सरकारी संस्थान, सरकारी संगठन या सरकारी निकाय के प्रमुख के रूप में जाने के लिए प्रदान की जाएगी।
- (5) वह कर्मचारी, जिसे विदेश सेवा शर्तों पर छुट्टी किया जाता है, वह यदि पात्र है तो पेंशन और छुट्टी वेतन अंशदान, उपदान अंशदान और उसके द्वारा सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) या अंशदान भविष्य निधि (सीपीएएफ) में किए गए अपने स्वयं के अंशदान का पात्र होगा।
28. (1) सबैटिकल छुट्टी पर संकाय सदस्य को छुट्टी अवधि के दौरान पूरा वेतन दिया जाएगा और यह छुट्टी, उसके आगे और बाद में छुट्टियों की अवधि को जोड़े जाने के उपबंध के साथ, दो सेमेस्टर्स की अवधि से अधिक नहीं होगा।
- (2) सबैटिकल छुट्टी से दौरान वेतन:- पहला सबैटिकल छुट्टी संस्थान में छह वर्षों की सेवा के बाद ही दिया जा सकता है (देय/लिए गए छुट्टी सहित परन्तु, आकस्मिक, अर्जित और परिवर्तित छुट्टी तक सीमित होगी)
- (3) कोई संकाय सदस्य आगामी सबैटिकल छुट्टी का पात्र तभी होगा, यदि उसने पिछले सबैटिकल छुट्टी (देय/लिए गए छुट्टी सहित परन्तु, आकस्मिक, अर्जित और परिवर्तित छुट्टी तक सीमित) लेने के बाद संस्थान में पहले ही छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और ऐसा छुट्टी पूर्ण सेवा अवधि में तीन बार तक ही सीमित होगा।
29. **अल्पावधि छुट्टी के लिए पात्रता.**- कोई संकाय सदस्य अल्पावधि छुट्टी के लिए तभी पात्र होगा यदि उसने पिछले अल्पावधि या दीर्घावधि छुट्टी से लौटने के पश्चात् या संस्थान में प्रारंभिक कार्य-ग्रहण के पश्चात् संस्थान में पहले ही दो पूरे सेमेस्टर की अवधि पूरी कर ली हो और यह पूर्व में दिए गए किसी बंधपत्र के अनुपालन के अध्वधीन होगा।
30. **दीर्घावधि छुट्टी के लिए पात्रता.**- यदि उसने संस्थान में कार्यग्रहण या गत दीर्घावधि छुट्टी या सबैटिकल छुट्टी से वापसी के बाद पहले ही पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं और सहायक या सहआचार्य को संस्थान के संकाय सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल में पहली बार दीर्घावधि छुट्टी लेने के लिए दो वर्ष तक की अथित्यजन दी जा सकेगी।
31. **पात्रता:-** कोई संकाय सदस्य छुट्टियों के लिए तभी पात्र होगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि संस्थान का शिक्षण और अन्य अकादमिक कार्यक्रम बाधित नहीं होंगे और विभाग के पास शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संकाय सदस्य हैं।
32. **व्यावृत्ति खंड:-** जिन मामलों को उपर्युक्त नियमों के तहत शामिल नहीं किया गया है उनका केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम के अनुसार निपटान किया जाएगा।
33. **कर्मचारियों का रिहायशी आवास.**- (1) बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार संस्थान के कर्मचारी संस्थान के परिसर के भीतर मकान यदि उपलब्ध हो के आबंटन के पात्र होंगे।
- (2) संस्थान के कर्मचारी से जिसे आवासीय प्रयोजन के लिए मकान आबंटित किया गया है, बोर्ड द्वारा तय दर पर अनुज्ञप्ति फीस लिया जाएगा।
- (3) आवास नीति बोर्ड द्वारा निर्णय की जाएगी।
- (4) उस कर्मचारी को मकान किराए का संदाय किया जाएगा जिसे आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है।
34. **सेवानिवृत्तिफायदें.**- (1) बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार संस्थान के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 1 जनवरी, 2004 से पहले पदभार ग्रहण किया था, अंशदायी निधि-सह-पेंशन-सह उपदान योजना गठित, अनुरक्षित और संचालित की जाएगी।
- (2) संस्थान के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सरकारी सेवा या संस्थान में 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् पदभार ग्रहण किया हो, केंद्रीय सरकार की नई पेंशन योजना (एनपीएस) द्वारा अभिशासित होंगे और उक्त स्कीम के अंतर्गत सेवा-निवृत्ति फायदें जैसे समय-समय पर केंद्रीय सरकार कर्मचारियों पर लागू होते हैं, संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे।
35. **अध्यक्ष की शक्तियां.**- (1) अध्यक्ष कानूनों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित किए गए अनुसार संस्थान और निदेशक के बीच लिखित में सेवा संविदा को लागू करेगा।

(2) आकासमिक मामलों में अध्यक्ष बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उसकी आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए बोर्ड को सूचित करेगा।

**36. निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य.-** (1) निदेशक निम्नलिखित के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा:-

(क) संकायाध्यक्ष और सहसंकायाध्यक्ष, जिसकी चयन प्रक्रिया स्थिति और कार्यो का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

परन्तु संकायाध्यक्ष और सहसंकायाध्यक्ष की नियुक्ति को अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(ख) विभागों अथवा स्कूलों या शैक्षिक और प्रशासनिक यूनिटों के प्रमुख।

(ग) छात्रावासों और संकाय से संबद्ध सुविधा-केंद्रों के मुख्य वार्डन, वार्डन और संबद्ध वार्डन;

(2) प्रयोजन के लिए बनाए गए बजट के उपबंध के अध्यक्ष निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय कर सकेगा।

(3) निदेशक, आवर्ती बजट से युक्त विभिन्न मदों के संबंध में उस सीमा तक जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए निधि का समय-समय पर पुनर्विनियोजन करेगा।

परंतु ऐसे पुनर्विनियोजन से बाद के वर्षों में कोई देयता शामिल नहीं होगी और जितनी जल्दी हो सके ऐसे पुनर्विनियोजन की बोर्ड को सूचना दी जाएगी।

(4) निदेशक, किसी कर्मचारी को उसी सीमा तक किए गए अधिभुगतानको जिसे कर्मचारी को किया गया हो और उसका चौबीस महीने के भीतर पता चल सका हो, की वसूली को उस सीमा तक छोड़ सकता हो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए और ऐसी प्रत्येक अधित्यजन को जितना शीघ्र संभव हो सके बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

(5) निदेशक खोए या आग, टूट-फूट के कारण नष्ट हुए माल की अवमूलनीय हानि को बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति की सिफारिश या उस वित्तीय सीमा तक बढ़े खाते डाल सकेगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाए।

(6) निदेशक, आकासमिक ऐसे तकनीशियनों और कर्मचारियों को जिन्हें ऐसी परिलब्धियों पर नियुक्त करेगा जिनका निर्धारण बोर्ड द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

(7) निदेशक, समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए अथवा शिक्षा-पाठ्यक्रम में भेज सकेगा।

(8) निदेशक, उन भवनों जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अनुपयुक्त हो गए तो के किराए में अधित्यजन या कमी करने की स्वीकृत दे सकता है।

(9) निदेशक, किसी भवन का जिस प्रयोजनार्थ इसका निर्माण किया गया था, के स्थान पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए अस्थायी आबंटन कर सकेगा।

(10) अपवाद स्वरूप मामलों में, निधि की उपलब्धता के अध्यक्षीन, निदेशक अध्यक्ष के अनुमोदन से, समेकित वेतन और बोर्ड को सूचित करते हुए दो वर्ष की अवधि से कम के लिए अस्थायी पद सृजित कर सकेगा।

(11) निदेशक लेखा कोड, आधारभूत और अनुपूरक नियमों और सरकार के अन्य नियमों जो लागू हों या संस्थान के कार्यो को संचालित करने के लिए लागू किए गए हों, प्रयोजनों के लिए विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(12) किसी अन्य कारण से, यदि रजिस्ट्रार एक महीने से कम की अवधि के लिए अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहता है तो, निदेशक कार्यभार देख सकता है, या संस्थान के किसी कर्मचारी को जो वह उचित समझे रजिस्ट्रार के किसी भी कार्य को उसे सौंप सकता है:

परन्तु यदि, किसी भी समय, रजिस्ट्रार की अस्थायी अनुपस्थिति एक माह से अधिक होती है तो, बोर्ड, यदि वह ठीक समझता है तो, निदेशक को एक महीने से अधिक अवधि के लिए पूर्व कथित रूप से रजिस्ट्रार को कार्य देखने या सौंपने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

- (13) संस्थान के लिए या उसकी ओर से सभी संविदाओं जिसमें संस्थान के बीच की अनुबंध शामिल नहीं है और जब निदेशक के लिखित में बोर्ड के संकल्प को पारित करके प्राधिकृत करता है और संस्थान के नाम पर बनाता है और इस प्रकार के सभी अनुबंध संस्थान की ओर से रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।
- (14) निदेशक, अपने विवेक से, ऐसी समितियों को गठित कर सकता है या जो वह समुचित समझे।
- (15) अध्यक्ष की मृत्यु, उसके त्यागपत्र या किसी अन्य कारण या अध्यक्ष द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थता के कारण या उनकी अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से पद के सृजन के मामले में, निदेशक अध्यक्ष को सौंपे गए कार्य कर सकेगा।

**37. छात्रावास.** - (1) छात्रावास और आवास हॉल और सभी आवासीय भवन, संकाय क्वार्टर से संबंधित मामले बोर्ड द्वारा देखे जाएंगे।

- (2) मैस सहित हॉल और छात्रावास के दिन प्रतिदिन के कार्य मुख्य वॉर्डन, वार्डन, सहायक वार्डन द्वारा देखे जाएंगे।
- (3) निदेशक दो वर्षों की अवधि के लिए मुख्य वार्डन, वार्डन, सहायक वार्डन को नियुक्त करेगा: परन्तु उनकी सेवा की अवधि निदेशक, मुख्य वार्डन, वार्डन, सहायक वार्डन द्वारा आगे बढ़ाई गई हो, यथास्थिति हो।
- (4) सभी वार्डन द्वारा वार्डन परिषद बनाया जाएगा और हॉल और छात्रावास के कार्यकलापों के संयोजन के लिए मुख्य वार्डन द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी।

**38. भत्ते.** - (1) संस्थान के कर्मचारी बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमानों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्तों के पात्र होंगे।

- (2) संस्थान के कर्मचारी बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से नियमों के अनुसार अपने और अपने कुटुंब के सदस्यों और आश्रितों पर किए गए चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति पात्र होंगे।
- (3) बोर्ड संकाय और भत्तों जैसे संचयी व्यवसायिक विकास भत्ता (सीपीडीए), विशेष शोध अनुदान, विशेष शोध छुट्टियां आदि सहित सभी नियमित कर्मचारियों की आवधिक निष्पादित समीक्षा के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा, जो अंशदान करने वाले कर्मचारियों को ही प्रदान किया जा सकेगा जिसके लिए केन्द्रीय वित्त पोषित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एकरूपता के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी परिषद संस्थान द्वारा नीति अनुमोदित की जा सकेगी।

**39. बोर्ड के आदेशों और निर्णयों का सत्यापन.** - बोर्ड के सभी आदेश और निर्णय रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर या उसकी ओर से बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

- 40. बोर्ड की बैठक.** - (1) कैलेंडर वर्ष के दौरान बोर्ड की सामान्यतः चार बार बैठक होगी।
- (2) अध्यक्ष अपने स्वयं की पहल या निदेशक के अनुरोध पर या बोर्ड के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांग पत्र पर बैठक का संयोजन करेगा।
  - (3) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति के लिए छह सदस्य होंगे :

परन्तु सदस्य वीडियो संपर्क द्वारा भाग लें:

परन्तु यह और कि यदि बैठक गणपूर्ति के कारण स्थगित होती है तो, यह बैठक उसी समय और उसी स्थान या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अन्य दिन और अन्य समय या स्थान पर

ऐसे स्थगन की तारीख से एक सप्ताह के अंदर की जाएगी और यदि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किसी अन्य दिन और किसी अन्य समय या स्थान पर निर्धारित की जाती है और ऐसी बैठक में यदि गणपूर्ति बैठक होने के समय से आधे घंटे के अंदर उपस्थित नहीं होती है तो उपस्थित सदस्य ही गणपूर्ति होंगे, जब तक कुल सदस्य तीस प्रतिशत से नीचे नहीं हो जाते हैं और ऐसे मामलों में जहां स्थगित बैठक सामान्य गणपूर्ति के बिना प्रारंभ हो जाती है तब बैठक समाप्त मानी जाएगी क्योंकि वर्तमान सदस्यों की संख्या बैठक प्रारंभ होने के समय सदस्यों की संख्या से नीचे जाती है और स्थगित बैठक का कार्यक्रम वही होगा जैसा बैठक में वास्तविक रूप से निर्धारित किया गया था।

- (4) बोर्ड की बैठकों में सभी मदों पर अधिकांश रूप से एकमत से विचार किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों के वोट के बहुमत के न होने पर निर्णय नहीं लिया जा सकेगा और यदि मत समान रूप से विभाजित हो जाते हैं तो, अध्यक्ष को वोट डालने का अधिकार होगा।
- (5) यदि अध्यक्ष उपस्थित रहता है तो वह प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष, किसी भी विशेष बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए सदस्यों में से किसी एक को नामनिर्दिष्ट कर सकता है और यदि अध्यक्ष द्वारा ऐसा नामांकन नहीं किया जाता है तब बोर्ड के सदस्य बैठक के लिए अध्यक्ष का चयन कर सकते हैं।
- (6) रजिस्ट्रार बैठक की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना देगा और सूचना में बैठक का स्थान और तारीख और समय दिया जाएगा।  
परन्तु अध्यक्ष विशेष मामलों पर विचार करने के लिए कम समय में बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकता है और ऐसी विशेष बैठक की गणपूर्ति नियमित बैठक के समान ही होगी।
- (7) बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को उनके बोर्ड के कार्यालय में दर्ज पतों पर व्यक्ति द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ई-मेल द्वारा दी जा सकती है।
- (8) रजिस्ट्रार बैठक से कम से कम दो सप्ताह पहले सदस्यों को बैठकों का कार्यक्रम परिचालित करेगा, विशेष बैठक मामले के सिवाय।
- (9) कार्यक्रम में किसी मद को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव की सूचना बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएगी।  
परन्तु कि अध्यक्ष किसी भी मद को सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान कर सकता है जिसके लिए देय सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
- (10) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- (11) रजिस्ट्रार निदेशक के परामर्श से बैठक की कार्रवाई के कार्यवृत्त प्राप्त करेगा और अध्यक्ष के अनुमोदन से बोर्ड के सदस्यों को परिचालित करेगा और किसी भी संशोधित सुझाव के साथ बोर्ड की अगली बैठक या परिचालन द्वारा उनकी पुष्टि करेगा।
- (12) अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि और उन पर हस्ताक्षर होने के बाद वे कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए जाएंगे।
- (13) यदि बोर्ड के सदस्य बोर्ड से छुट्टी-अनुपस्थिति के बिना निरंतर तीन बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो वह बोर्ड का सदस्य होने से प्रवीरत हो जाएगा।
- (14) बोर्ड की सदस्यता अहस्तांतरणीय होगी।

- (15) बोर्ड का कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ होने पर एक वर्ष के लिए तय किया सकता है और कार्यक्रम में बदलाव के मामले में, सदस्यों से परामर्श किया जाएगा।
- (16) बोर्ड गैर-संकाय पदों को सृजित करने के लिए शिक्षामंत्रालय में केंद्रीय सरकार को सिफारिश करेगा, इनके सदस्यों की कुल संख्या परिषद द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों की कुल संख्या के उचित भाग के रूप में अवधारित की जाएगी।

**41. सीनेट की बैठक.** - (1) सीनेट यथा आवश्यक अधिकांश रूप से बैठक करेगा, लेकिन कैलेंडर वर्ष के दौरान सामान्यतः यह बैठक चार बार से कम नहीं होगी और सामान्य सीनेट बैठकों का कैलेंडर शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में बनाया जाएगा।

- (2) सीनेट का अध्यक्ष अपनी स्वयं की पहल या सीनेट के कम से कम 20% सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांग के आधार पर सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (3) सीनेट की बैठक की गणपूर्ति सीनेट के कुल सदस्यों की आधी होगी।
- (4) यदि निदेशक, उपस्थित रहता है तो, वह सीनेट की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (5) रजिस्ट्रार प्रत्येक बैठक की लिखित या इलेक्ट्रॉनिक सूचना परिचालित करेगा, जिसमें बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले सीनेट के सदस्यों के लिए कार्यक्रम भी होगा:

परन्तु कि सीनेट का अध्यक्ष किसी भी मद को सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान कर सकता है जिसके लिए सूचना दी गई हो।

- (6) उप-संविधि (1) के प्रावधानों के होते हुए भी, सीनेट का अध्यक्ष किसी भी विशेष तत्काल मामलों पर विचार करने के लिए कम समय में सीनेट की आपातकालीन बैठक बुला सकता है।
- (7) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में सीनेट के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- (8) रजिस्ट्रार सीनेट के अध्यक्ष के अनुमोदन से सीनेट की बैठक की कार्रवाई के कार्यवृत्त प्राप्त करेगा और सीनेट के सभी सदस्यों को परिचालित करेगा:  
परन्तु कि ऐसा कोई भी कार्यवृत्त तब परिचालित नहीं किया जायेगा यदि सीनेट संस्थान के हितों के लिए पूर्वाग्राही रूप से ऐसे परिचालन पर विचार करें और संशोधन, यदि कोई सुझाया गया हो तो, सीनेट की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा।
- (9) कार्यवृत्त तैयार होने तथा सीनेट के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होने के पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा जिसको कार्यालय समय के दौरान सदैव सीनेट, बोर्ड और परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।
- (10) आपातकालीन स्थिति में, सीनेट के अध्यक्ष सीनेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे तथा सीनेट के अनुमोदन के लिए उसकी अगली बैठक में उसके द्वारा की गई कार्रवाई के लिए सीनेट को रिपोर्ट करेंगे।

**42. वित्त समिति की बैठक.** - (1) वित्त समिति की बैठक जितनी भी बार करना आवश्यक हो किंतु न्यूनतम वर्ष में दो बार होगी।

- (2) वित्त समिति के चार सदस्य वित्त समिति की बैठक की गणपूर्ति बनाएंगे।
- (3) बोर्ड का अध्यक्ष वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष सदस्यों में से किसी एक को किसी बैठक विशेष के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकता है तथा यदि अध्यक्ष द्वारा ऐसा कोई नामांकन नहीं किया गया है तब निदेशक उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है।

- (4) बैठक स्थगित करने की कार्रवाई, स्थगित बैठक का आयोजन, बैठक का नोटिस, एजेंडा में मदों को सम्मिलित करना और कार्यवृत्त की पुष्टि करना आदि बोर्ड की बैठकों को मान्य है जैसाकि परिनियम 41 में विनिर्दिष्ट है। जहां तक हो सकेगा वित्त समिति की बैठक के संबंध में मान्य होगा।
- (5) वित्त समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी।

**43. बिलिंग और वर्क समिति की बैठक.** - (1) बिलिंग और वर्क समिति की बैठक जितनी भी बार आवश्यक हो किंतु न्यूनतम वर्ष में दो बार होगी।

- (2) बिलिंग और वर्क समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति चार सदस्यों की होगी।
- (3) बैठक का नोटिस, एजेंडा में मद सम्मिलित करना और बोर्ड की बैठकों के लिए मान्य कार्यवृत्त की पुष्टि का प्रावधान जैसाकि परिनियम 40 में विनिर्दिष्ट है। जहां तक हो सके बिलिंग और वर्क समिति की बैठक का संबंध है मान्य होगा।
- (4) बिलिंग और वर्क समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी।

**44. शिकायत निवारण तंत्र.** - (1) बोर्ड की उप-समिति के रूप में शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी तथा समिति पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से संस्थान की वेबसाइट पर अपने निर्णय प्रदर्शित कर कार्य करेगी।

- (2) यदि संस्थान के तंत्र द्वारा किसी कार्मिक या संकाय या छात्र की शिकायत का निवारण नहीं किया जाता तो उसे बोर्ड की उप-समिति को भेजा जाएगा तथा उस पर लिया गया निर्णय ऐसे कार्मिक या संकाय या छात्र को सूचित किया जाएगा।

**अनुसूची**  
**सेवा संविदा**  
**[परिनियम 35(1) देखें]**

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2014 (2014 का अधिनियम 30) के अधीन गठित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी ----- (जिसे इसमें इसके पश्चात संस्थान कहा गया है) और एक पक्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात नियुक्त व्यक्ति कहा गया है) के बीच आज ----- के ----- दिन यह सेवा करार किया गया है।

जबकि अधिनियम में संदर्भित केंद्रीय सरकार विजिटर के अनुमोदन से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 24(1) और परिनियम की कानूनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात परिनियम कहा गया है) के परिनियम 37(1) के निबंधनों के अनुसार संस्थान के निदेशक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियुक्त व्यक्ति कहा गया है) की नियुक्ति को ----- वर्षों के लिए संविदा आधार पर सहर्ष अनुमोदित करती है और नियुक्त व्यक्ति ने निबंधन और शर्तों, जिनका इसमें इसके पश्चात उल्लेख किया गया है, के आधार पर ऐसी नियुक्ति को इन साक्षियों की उपस्थिति में स्वीकार कर लिया है और यहां उल्लिखित पक्षकार क्रमशः निम्नलिखित से सहमत हैं:-

(1) ये सेवा करार, स्थायी नियमित कर्मचारियों के लिए संस्थान को आच्छादन करने वाले, यथा लागू और समय-समय पर यथा-प्रभावी, अधिनियम और परिनियम के प्रावधानों में सभी समय सम्मिलित किए गए विषय के लिए किया हुआ माना जाएगा।

(2) नियुक्त व्यक्ति तारीख ----- से जो पद करार के अधीन कार्य ग्रहण करने की तारीख है ----- से ----- वर्षों की अवधि के लिए सेवा में रहेगा:

परन्तु कि, यदि नियुक्त व्यक्ति उपर्युक्त सेवा अवधि पूरी होने पर अधिवर्षिता आयु से कम का है, तो उसकी सेवा, उस शैक्षिक वर्ष जिसमें नियुक्त व्यक्ति उक्त सेवा अवधि को पूरा करता है, के जून मास की 30 तारीख तक या जब तक वह अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, तक जारी रहेगी।

(3) नियुक्त व्यक्ति, संस्थान का मुख्य शैक्षिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और संस्थान की उक्त अधिनियम और परिनियमों में प्रदत्त शक्तियों और कर्तव्यों के साथ सेवा करेगा।

(4) नियुक्त व्यक्ति संस्थान की सेवा में अपना पूरा समय देगा और वह आचरण नियमों और उक्त अधिनियम और परिनियमों के अन्य प्रावधानों के अध्वधीन होगा और नियुक्त व्यक्ति द्वारा उसकी सेवा के दौरान या सेवा और उस कार्य जिसके लिए उन्हें रखा गया है, के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना को गुप्त और गोपनीय माना जाएगा तथा वह नियुक्त व्यक्ति पूर्ण रूप से भारतीय कर्मचारी गोपनीय अधिनियम, 1923 के अध्वधीन माना जाएगा।

(5) उनकी सेवा की अवधि के दौरान, निलम्बन की किसी अवधि और साथ ही बिना वेतन के छुट्टी की अवधि को छोड़कर, भारतीय आयकर के अध्वधीन ----- रूपए के वेतनमान में ----- रूपए प्रारंभिक वेतन का पात्र होगा परन्तु, यदि नियुक्त व्यक्ति किसी समय भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाता है, उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान उनका वेतन और भत्ते वे होंगे, जैसा कि शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और इसके अतिरिक्त नियुक्त व्यक्ति, मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि जैसे भत्तों, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर देय हो, का आहरण करता रहेगा।

(6) निदेशक के रूप में उसकी सेवा के दौरान नियुक्त व्यक्ति समय-समय पर उन प्रावधानों में किए गए ऐसे आंतरणों के अध्वधीन आनतरणों में बनाये गए प्रावधानों के अनुसार संस्थान की अंशदान भविष्य निधि-सह-उपदान के लिए अंशदान करेगा और परिनियमों के अनुसार स्थायी नियमित कर्मचारियों के लिए यथा-अनुज्ञय संस्थान के अंशदान का हकदार होगा, यदि किसी अन्य संस्थान का कर्मचारी होने और सीपीएफ-सह-उपदान योजना या जीपीएफ-सह-पेंशन-सह-उपदान योजना का लाभ उठाए जाने के मामले में, वह

सांविधि के अधीन यथा-अनुज्ञय अपने संचयी धन के अंतरण के साथ संस्थान की संगत योजना में सम्मिलित होगा।

परन्तु, कि यदि नियुक्त व्यक्ति संस्थान का ही कर्मचारी है तो इस मामले में वह, इस संविदा नियुक्ति के तत्काल पहले उस पर यथा-लागू अंशदान भविष्य निधि-सह-उपदान योजना या सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-उपदान योजना द्वारा अधिशासित किया जाता रहेगा और वह परिणियमों के अनुसार, इस संस्थान के अन्य स्थायी कर्मचारियों की तरह इस संविदा के अधीन अपनी सेवा अवधि के लिए योजना लाभों का हकदार होगा।

(7) इसमें इससे पहले अन्तर्विष्टकिसी बात के होते हुए भी नियुक्त व्यक्ति, अन्यथा जब तक संस्थान द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, वेतन संशोधन में किन्हीं बढ़ोतरी और सेवानिवृत्ति लाभों, जिन्हें संस्थान द्वारा अवधारित किया जाता है, तथा संस्थान द्वारा यथा-विनिश्चित किसी सुधार के लाभ को पूर्णतया या आंशिक रूप में पाने का हकदार होगा, जो संस्थान के ब्रांच सदस्यों की सेवा, उस सेवा जिसमें वह थोड़े समय के लिए रहा हो, संबंधी निबंधन और शर्तों में इनके प्रवृत्त होने की तारीख के अधधीन होंगे और नियुक्त व्यक्ति की सेवा संबंधी निबंधन और शर्तों में ऐसी बढ़ोतरी के संबंध में, संस्थान का निर्णय प्रचालित होगा ताकि इन प्रस्तुतियों के प्रावधानों में उस विस्तारतक उपांतरण किया जाए।

(8) नियुक्त व्यक्ति, परिणियमों के अधीन स्थायी गैर-छुट्टी कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय छुट्टी का हकदार होगा।

(9) नियुक्त व्यक्ति, संस्थान परिसर में सुसज्जित निःशुल्क आवास का हकदार होगा, जैसा कि संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(10) नियुक्त व्यक्ति, परिणियमों के प्रावधानों के अनुसार चिकत्सीय परिसर्या और उपचार से संबंधित सुविधा का हकदार होगा।

(11) नियुक्त व्यक्ति को, संस्थान में कार्यग्रहण करने के लिए, जन हित में स्थानान्तरण पर नियुक्ती की नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार के मान्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता नियमों के अधीनकेंद्रीय सरकार के समतुल्य पद के एक अधिकारी को यथा-अनुज्ञय यात्रा व्ययों का भुगतान किया जाएगा।

यदि नियुक्त व्यक्ति को संस्थान कार्य हित में यात्रा करनी अपेक्षित है तो वह समय-समय पर यथा-लागू संस्थान की यात्रा भत्ता नियमों में उपबंधित मानकों के अनुसार यात्रा भत्ता का हकदार होगा और इसी प्रकार नियुक्त व्यक्ति, संस्थान के नियमानुसार अपने गृह नगर जाने के लिए छुट्टी यात्रा भत्ता का भी हकदार होगा।

(12) नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपने व्यय से प्रकाशित पुस्तकों या लेखों से प्राप्त रकम, उसी दिशा में अपने कार्य को जारी रखने के लिए, प्रोत्साहन के रूप में उन्हीं को दी जाएगी और उन्हें समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा-अधिकथित नियमों के अनुसार परामर्शी सेवाएं देने और उसके लाभ को अपने पास रखने की अनुमति होगी।

(13) नियुक्त व्यक्ति की सेवाओं को, संस्थान द्वारा इस संविदा के अधीन उनकी अवधि के दौरान बिना कोई कारण बताए तीन कैलेन्डर मास के लिखित नोटिस द्वारा संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। परंतु, संस्थान, यहां नोटिस के बदले नियुक्त व्यक्ति को उसके तीन मास के मूल वेतन के बराबर की रकम, देने का प्रावधान कर सकती है और नियुक्त व्यक्ति भी संस्थान को लिखित में तीन कैलेन्डर महीनों का नोटिस देकर अपनी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

(14) नियुक्त व्यक्ति को उनकी सुविधा के अधधीन ----- विभाग में शिक्षण और अनुसंधान कार्यों में भाग लेने के लिए ----- विषय के आचार्य की प्रास्थिति प्रदान किया जायेगा।

(15) नियुक्त व्यक्ति, उन मामलों, जिनका इस करार में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, के संबंध में उक्त प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 या उसमें किए गए लागू उपांतरण और उसके अधीन बनाई गई तथा लागू परिणियमों, द्वारा अधिशासित होगा।

जिसको साक्षी में, अध्यक्ष, संस्थान के शासी बोर्ड और नियुक्त व्यक्ति ने ऊपर लिखित वर्ष के दिन इस करार पर हस्ताक्षर किए।

अध्यक्ष, संस्थान शासी बोर्ड  
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी  
संस्थान ----- द्वारा हस्ताक्षरित  
और वितरित

साक्षी के हस्ताक्षर नाम और पता  
की उपस्थिति में  
उक्त नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर

साक्षी के नाम और पता की उपस्थिति में

1. -----  
-----  
-----
2. -----

अध्यक्ष  
शासी बोर्ड  
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  
विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नूल

निदेशक  
भा.सू.प्रौ.सं.वि.प्रौ, कर्नूल

[फा.सं. 79-1/2021-टीएस.1]  
राकेश रंजन  
अपर सचिव (त.शि.) शि.मं.  
और सचिव, आईआईआईटी परिषद्